

न्यायालय अपर प्रधान न्यायाधीश, पारिवारिक न्यायालय, कोर्ट सं०: 1, बरेली।
उपस्थित : शैलोज चन्द्रा...उच्चतर न्यायिक सेवा
वाद सं०-181/2011

मुन्ने मियाँ पुत्र श्री लाल मोहम्मद निवासी मोहल्ला संदल खॉ की बजरिया बाग वाली सराय थाना किला पर० तह० व जिला बरेली।

.....याची

बनाम

श्रीमती चन्दा बी पूर्व पत्नी मुन्ने मियाँ पुत्री श्री शफीक अहमद निवासी मोहल्ला बाकरगंज पपीते वाली गली थाना किला जिला बरेली हाल निवासी मोहल्ला महमूदनगर खड्डो के पास बाकरगंज पर० तह० व जिला बरेली।

.....विपक्षी

निर्णय

याची की ओर से प्रस्तुत याचिका तलाक की घोषणात्मक डिक्री प्राप्त किये जाने की याचना की गयी है।

याचिका के संक्षिप्त कथन इस प्रकार है कि याची का निकाह विपक्षी के साथ दिनांक: 15.07.2005 को शरीयतन इस्लाम के अनुसार हुआ था। याची ने शादी के समय विपक्षी को सोने चॉदी के जेवर तथा लगभग 6,000/-रु० के कपड़े निकाह के समय दिये थे। निकाह के बाद याची ने विपक्षी की अपनी हैसियत के अनुसार समस्त सुख सुविधाओं का ख्याल रखा और जायज जरूरतों को पूरा किया। याची निकाह के चार दिन बाद विपक्षी को पिक्चर दिखाने लग गया था, वहाँ से विपक्षी जबरदस्ती अपने मायके भागे जा रही थी। याची ने बड़ी मुश्किल से उसे मायके जाने से रोका और अपने घर ले गया। जब याची ने विपक्षी से मायके जाने के वारे में पूछा तो उसने कहा कि मेरा निकाह मेरी मर्जी के खिलाफ जबरदस्ती मेरे माँ-बाप ने कर दिया था। विपक्षी अपने मामू के लड़के नवाब के साथ निकाह करना चाहती थी। याची ने विपक्षी को काफी समझाने का प्रयास किया परन्तु नहीं मानी और याची के घर से उसकी गैर मौजूदगी में 15 दिन के बाद ही घर छोड़कर अपने मायके भाग गयीं याची व उसके मोहल्ले के कई लोग उसे बड़ी मुश्किल से समझा-बुझाकर याची के घर लाये और भागने का कारण पूछा तो उसने सबके समक्ष कहा कि मैं मुन्ने मियाँ के साथ नहीं रहना चाहती, मैं अपने मामू के लड़के नवाब के साथ ही रहूँगी और उसी के साथ निकाह करूँगी। याची ने विपक्षी की उक्त नाजायज हरकतों के बारे में उसके मायके वालों व मोहल्ले वालों व रिश्तेदारों को बताया किन्तु विपक्षी व उसके मायके वालों पर किसी बात का असर नहीं हुआ और माह अगस्त 2015 में विपक्षी की माँ याची के घर आयी और याची को बिना बताये व उसकी गैर मौजूदगी में समस्त जेवर कपड़ा लेकर अपनी माँ के साथ मायके चली गयी। याची विपक्षी को बुलाने दिनांक: 28.08.2005 को उसके मायके गया तो विपक्षी ने याची के साथ आने से साफ मना कर दिया और विपक्षी की माँ ने कहा कि तुम घर जमाई बनकर रहो नहीं तो हमारी लड़की तुम्हारे साथ नहीं रहेगी। याची की कुँवारी बहन व भतीजी होने के कारण उसने घर जमाई बनकर रहने में असमर्थता जताई तो विपक्षी व उसकी माँ ने याची को गंदी-2 गालियाँ दी और घर में बन्द करके मारापीटा तथा कहा कि अब तुझे व तेरे घरवालों को दहेज के केस में

फँसवा देंगे। याची व उसकी बहन तथा भतीजी द्वारा विपक्षी को शारीरिक व मानसिक रूप से प्रताड़ित नहीं किया गया फिर भी उसने याची के खिलाफ दहेज माँगने का झूठा शिकायती प्रार्थनापत्र पारिवारिक परामर्श केन्द्र पुलिस लाइन बरेली में दिया जो जाँच में झूठा पाया गया। याची एक चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी है। याची ने विपक्षी के माँ बाप की दयनीय स्थिति को देखते हुए बिना दान दहेज के विपक्षी के साथ निकाह किया था और निकाह का सारा खर्चा याची ने स्वयं किया था। याची दिनांक: 23.12.2005 को विपक्षी को बुलाने उसके मायके गया तो विपक्षी ने याची का कालर पकड़ लिया तथा शफी अहमद व तारा वसीम ने याची के साथ मारपीट की तथा साइकिल छीन ली। शोर सुनकर मोहल्ले के लोग आ गये जिन्होंने याची को बचाया। विपक्षी ने याची को जान से मरवा देने, नवाब के साथ निकाह कर लेने तथा याची के मरने के बाद उसकी जगह रोडवेज में नौकरी कर लेने की धमकी दी। 5.5.2006 को वादी अपनी पुत्री से मिलने गया तो उस समय विपक्षी घर पर मौजूद नहीं थी, विपक्षी अपनी नवजात पुत्री को छोड़कर अपने मामू के लडके नबाब के साथ घूमने गयी हुयी थी। विपक्षी पुत्री की देखभाल ठीक से नहीं कर रही है। वादी की पुत्री को विपक्षी से जान का खतरा है। विपक्षी ने 20.10.2010 को एक पुत्र को जन्म दिया, जब विपक्षी वादी से अलग रह रही है तो लडका पैदा कैसे हो गया। उससे यह स्पष्ट है कि विपक्षी ने किसी दीगर व्यक्ति से दूसरा निकाह कर लिया है या फिर किसी व्यक्ति के साथ अवैध संबंध बनाकर रह रही है। याचना की गयी है कि पक्षगण के मध्य सम्पन्न विवाह दिनांकित: 15.07.2005 विवाह विच्छेद की डिक्री द्वारा विघटित किया जाये।

विपक्षी पर सम्मन जारी हुए। विपक्षी ने न्यायालय में उपस्थित होकर प्रतिवादपत्र प्रस्तुत किया जिसमें उसने वादपत्र के मद नं0- 1 में मात्र शादी होना स्वीकार किया, मद नं0- 2 के शेष कथन व अन्य मदों को गलत व अस्वीकार किया।

अतिरिक्त कथन में कहा है कि पक्षगण का निकाह मुस्लिम रीति रिवाज से सम्पन्न हुआ था। विदा होकर अपनी ससुराल गयी और हके जौजियत अदा किये। अतिरिक्त दहेज में स्कूटर, रंगीन टी0वी0 की मांग करते और मांग पूरी न करने पर गर्भवती हालत में प्रतिवादिनी को घर से निकाल दिया। वादी की बहन व भतीजी ने प्रतिवादिनी का सबसे ज्यादा उत्पीडन किया। प्रतिवादिनी ने कभी भी वादी के साथ रहने से इंकार नहीं किया तथा आज भी वादी के साथ रहने को तैयार है। वादी की बहन व भतीजी द्वारा ही वादी को बरगलाकर विपक्षी के विरुद्ध कई झूठे मुकदमे गलत तथ्यों पर अदालत में दायर करा दिये गये हैं। वादी एवं प्रतिवादिनी के मध्य आज तक कोई तलाक नहीं हुआ है तथा प्रतिवादिनी के जो बेटा पैदा हुआ है वह वादी के संसर्ग से ही हुआ है। वादी का दावा सव्यय खारिज किये जाने का निवेदन किया गया।

उभय पक्ष के अभिवचनों के आधार पर दिनांक 19.04.2017 को निम्नलिखित वाद बिन्दु विरचित किये गये :-

1. क्या याची याचिका में वर्णित विवाह-विच्छेद की डिक्री पाने का अधिकारी है ?
2. क्या याची कोई अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी है ?

याची की ओर से मौखिक साक्ष्य में ए0पी0डब्लू0-1 के रूप में स्वयं को ,पी0डब्लू0-2 के रूप में कु0 जमीला को, ए0पी0डब्लू0-3 के रूप में साक्षी कु0 हसीन बानो को परीक्षित कराया गया है।

उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनी। पत्रावली का सम्यक अवलोकन किया।

निष्कर्ष

निस्तारण वाद बिन्दु सं0-1 :-

यह वाद बिन्दु इस बाबत विरचित है कि क्या याची द्वारा याचिका में वर्णित तथ्यों के आधार पर उभय पक्षों के मध्य सम्पन्न विवाह दिनांकित: 15.07.2005 विघटित किये जाने योग्य है ?

इस सम्बन्ध में याचिका में याची ने स्वयं ए0पी0डब्लू0-1 के रूप में अपने साक्ष्य में कहा है कि पक्षगण का निकाह विपक्षी के साथ दिनांक: 15.07.2005 को शरीयतन इस्लाम के अनुसार हुआ था। याची निकाह के चार दिन बाद विपक्षी को पिक्चर दिखाने लग गया था, वहाँ से विपक्षी जबरदस्ती अपने मायके भागे जा रही थी। याची ने बड़ी मुश्किल से उसे मायके जाने से रोका और अपने घर ले गया। विपक्षी अपने मामू के लड़के नवाब के साथ निकाह करना चाहती थी। याची ने विपक्षी को काफी समझाने का प्रयास किया परन्तु नहीं मानी और याची के घर से उसकी गैर मौजूदगी में 15 दिन के बाद ही घर छोड़कर अपने मायके भाग गयीं याची व उसके मोहल्ले के कई लोग उसे बड़ी मुश्किल से समझा-बुझाकर याची के घर लाये और भागने का कारण पूछा तो उसने सबके समक्ष कहा कि मैं मुन्ने मियाँ के साथ नहीं रहना चाहती, मैं अपने मामू के लड़के नवाब के साथ ही रहूँगी और उसी के साथ निकाह करूँगी। माह अगस्त 2015 में विपक्षी की माँ याची के घर आयी और याची को बिना बताये व उसकी गैर मौजूदगी में समस्त जेवर कपड़ा लेकर अपनी माँ के साथ मायके चली गयी। याची विपक्षी को बुलाने दिनांक: 28.08.2005 को उसके मायके गया तो विपक्षी ने याची के साथ आने से साफ मना कर दिया और विपक्षी की माँ ने कहा कि तुम घर जमाई बनकर रहो नहीं तो हमारी लड़की तुम्हारे साथ नहीं रहेगी। दिनांक 5.5.2006 को वादी अपनी पुत्री से मिलने गया तो उस समय विपक्षी घर पर मौजूद नहीं थी, विपक्षी अपनी नवजात पुत्री को छोड़कर अपने मामू के लड़के नवाब के साथ घूमने गयी हुयी थी। विपक्षी पुत्री की देखभाल ठीक से नहीं कर रही है। वादी की पुत्री को विपक्षी से जान का खतरा है। विपक्षी ने 20.10.2010 को एक पुत्र को जन्म दिया, जब विपक्षी वादी से अलग रह रही है तो लड़का पैदा कैसे हो गया। उससे यह स्पष्ट है कि विपक्षी ने किसी दीगर व्यक्ति से दूसरा निकाह कर लिया है या फिर किसी व्यक्ति के साथ अवैध संबंध बनाकर रह रही है।

जिरह में कहा है कि दिनांक 5.7.2005 को वह रोडवेज में नौकरी करता था। 7-8 हजार रुपये मिलते थे, याची की उसकी पत्नी से एक बेटा पैदा हुयी थी। उसकी पत्नी ने नवाब नाम के व्यक्ति से उसके सामने निकाह नहीं किया। भरण पोषण के दावे में समझौता हुआ कि पति पत्नी साथ रहेंगे। उसकी पत्नी 15 दिन साथ रही। बाद में खर्चे के मुकदमें में खर्चा बंध गया। अपनी पत्नी द्वारा

दाखिल जवाब का जवाब उसने दाखिल किया है। डी0एन0ए0 टेस्ट का खर्चा न्यायालय में जमा नहीं किया है। जो तलाक पत्नी के कहने पर उसे देने के लिए कहता हूं उसकी कोई लिखा-पढ़ी नहीं है। उसने अखबार में छपाया था, अपने वादपत्र तथा शपथपत्र में यह नहीं लिखाया था कि तलाक की खबर अखबार में छपाई थी। जब तलाक दिया था तो आला हजरत के यहां का कोई व्यक्ति मौजूद नहीं था। फतवे का कागज तलाक के कानून में मान्य है। यह कागज किसने लिखा उसे नहीं मालूम। फतवे के समय मोलवी साहब को यह नहीं बताया था कि अदालत में तलाक का मुकदमा है। फतवा फर्जी होने से इंकार किया।

जिरह में आगे कहा कि रोडवेज में नौकरी कर रहा है, उसकी सेवा 16-17 साल की हो चुकी है। उसने अपनी पत्नी की दूसरी शादी का निकाहनामा दाखिल नहीं किया है। उसने अपनी पत्नी को तलाक का कोई लिखित नोटिस नहीं दिया था। इस तथ्य को गलत होना कहा कि शरीयतन विपक्षी याची की पत्नी है।

आवेदक की ओर से परीक्षित **ए0पीडब्लू0-2** साक्षी कु0 जमीला जो आवेदक की सगी बहन है, ने अपने सशपथ बयान में कहा है कि दिनांक 24.7.2010 को वह अपने भाई के साथ कचहरी आयी थी, यह लोग कचहरी से घर जा रहे थे तो विपक्षी अन्य दो व्यक्तियों के साथ मिली और याची को देखकर गंदी गंदी गालिया देकर तलाक मांगने लगी। जब याची ने तलाक नहीं दिया तो याची को चप्पलों से मारने लगी। तब याची ने विपक्षी को 3 बार तलाक दे दिया। इस तथ्य को उसने अपने कानों से सुना। तीनों साक्षियों ने याची को विपक्षी से तलाक देते सुना। 27.2.2009 से विपक्षी याची से अलग रह रही है। फिर भी अवैध रूप से बच्चे को जन्म दिया।

इस साक्षी की जिरह होने से पहले मृत्यू हो गयी। इसलिए उसके स्थान पर फरजंद अली को पेश किया गया।

आवेदक की ओर से परीक्षित **ए0पीडब्लू0-2** साक्षी फरजन्द अली जो आवेदक का पड़ोसी है, ने अपने सशपथ बयान में कहा है कि दिनांक 24.07.2010 को कलेक्ट्रेट गेट, बरेली के सामने याची की पत्नी ने याची के साथ चप्पलों से मारपीट की। विपक्षी याची से तलाक मांग रही थी। विपक्षी के कहने पर याची ने उसे 3 बार तलाक दे दिया। 27.9.2009 से विपक्षी अपने पति से अलग रह रही है।

जिरह में कहा कि वह बिजली विभाग में नौकरी करता है, याची रोडवेज में काम करता है। उसे नहीं मालूम कि याची ने अपनी मर्जी से तलाक दिया या विपक्षी के मांगने से दिया। दोनों पक्षों के बीच कितने मुकदमे चल रहे हैं। उसे जानकारी नहीं है। इस तथ्य को गलत होना कहा कि वह झूठी गवाही दे रहा हो। इस तथ्य को भी गलत होना कहा कि याची ने विपक्षी को तलाक दिया हो।

आवेदक की ओर से परीक्षित **ए0पीडब्लू0-3** साक्षी कु0 हसीन बानो, जो आवेदक की सगी भतीजी है, ने अपने सशपथ बयान में कहा है कि दिनांक 24.7.2010 को वह अपने चाचा व बुआ के साथ कचहरी आयी थी, यह लोग कचहरी से घर जा रहे थे तो विपक्षी अन्य दो व्यक्तियों के साथ कलेक्ट्रेट गेट पर मिली और याची को देखकर गंदी गंदी गालिया देकर तलाक मांगने लगी। जब याची ने मना किया तो याची को चप्पलों से मारने लगी। तब याची ने विपक्षी को 3 बार तलाक दे दिया। इस तथ्य को उसने अपने कानों से सुना। तीनों साक्षियों ने याची को विपक्षी से तलाक देते सुना। 27.2.2009 से विपक्षी याची से अलग रह रही है। फिर भी

अवैध रूप से बच्चे को जन्म दिया।

जिरह में कहा कि याची उसके सगे चाचा हैं, वह पढ़ी लिखी नहीं है। वकील साहब के पास से जब वापस आ रहे थे, तो उस दिन विपक्षी दो व्यक्तियों के साथ घूमती हुयी मिली। उसने से एक लडके का नाम सलीम है, दूसरे का पता नहीं। उस समय उसके साथ उसके चाचा व उसकी बुआ थी। झगड़े के समय भीड़ इकट्ठा हो गयी। चाचा/याची को विपक्षी चप्पलों से पीट रही थी तथा गंदी गंदी गालियां दे रही थी। अखबार वाले भी आ गये थे। भीड़ ने इन लोगों को अलग अलग कर दिया। चाचा ने अपना मेडिकल भी नहीं कराया। उसके चाचा की एक पुत्री है, दूसरा बेटा उनका नहीं है।

न्यायालय द्वारा पूछने पर साक्षी ने कहा कि 2010 में ही याची का तलाक हो चुका है। अब तलाक की कोई जरूरत नहीं है।

विपक्षी की ओर से मौखिक साक्ष्य में **ओपी0डब्लू0-1** के रूप में स्वयं को परीक्षित कराया गया। उसने अपनी मुख्य परीक्षा में यह कहा है कि याची से उसके दो बच्चे हैं। भरण पोषण का मुकदमा चल रहा था तब वह रजामंदी से ससुराल चली गयी। वह कलेक्ट्रेट कभी नहीं गयी, न ही उसने तलाक मांगा। वह अपने पति के साथ रहने को तैयार है। खर्चे का मुकदमा कब दायर किया उसे याद नहीं है। दिनांक 29.9.2009 से अपने मायके में रह रही है। वह अपने बच्चे का डी0एन0ए0 टेस्ट कराने के लिए तैयार है। 24.7.2010 को कचहरी अकेले आयी थी। याची ने उसे मारा था काफी भीड़ इकट्ठा हो गयी थी। वह पढ़ना नहीं जानती है। वह अपने पति के साथ जाना चाहती है। नवाब उसके मामू का लडका है। वह केवल 3 माह साथ रही है। पुत्री इस समय 15 वर्ष की है। निर्णय के दिन वादी द्वारा न्यायालय में प्रा0पत्र देकर यह कहा गया कि उसका शरीयतन तलाक हो गया है। इस संबंध उसका प्रमाण पत्र दाखिल किया गया है जो पत्रावली में है। ऐसी दशा में यह वाद बिन्दु तदनुसार निस्तारित किया जाता है।

निस्तारण वाद बिन्दु सं0: 2

यह वाद बिन्दु अनुतोष से सम्बन्धित है।

वाद बिन्दु सं0 1 के निस्तारण से स्पष्ट है कि ऐसी दशा में जहां वादी द्वारा इस तथ्य को न्यायालय में कहा गया कि उसका शरीयतन तलाक हो चुका है। ऐसी दशा में पुनः तलाक की घोषणा किये जाने का कोई औचित्य नहीं है। तदनुसार खारिज किये जाने योग्य है।

आदेश

याचिका अर्न्तगत तलाक की घोषणात्मक डिक्री हेतु वाद तदनुसार खारिज किया जाता है।

दिनांक : 25.02.2021

(शैलोज चन्द्रा)

अपर प्रधान न्यायाधीश, पारिवारिक न्यायालय
कोर्ट सं0: 1, बरेली।

आज यह निर्णय खुले न्यायालय में मेरे द्वारा हस्ताक्षरित एवम् दिनांकित करके सुनाया गया।

दिनांक : 25.02.2021

(शैलोज चन्द्रा)

अपर प्रधान न्यायाधीश, पारिवारिक न्यायालय
कोर्ट सं0: 1, बरेली।